संख्या-63/1761/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊ: दिनॉक: 20 नवम्बर, 2015

विषय-: उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-117 की उपधारा-6 के अधीन पुनर्ग्रहीत भूमि के मूल्य में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-258/16(1)-73-राजस्व-1, दिनॉक 09 मई, 1984 द्वारा गॉव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त सामान्य सिद्वान्तों का निर्धारण किया गया है।

2. प्रश्नगत प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-117 के अधीन गॉव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित धारा-117 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं के पुनर्ग्रहण का मूल्य राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिए या जहॉ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए या निजी व्यक्तियों/निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा। अत: शासनादेश संख्या-258/16(1)-73-राजस्व-1, दिनॉक 09 मई, 1984 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

-2-

shasnadesh.up.nic.in

संख्या-1761(1)/एक-1-2015-5-1(43)/2009-53 तद दिनॉका

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4; चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in